रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2667] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2015/अग्रहायण 20, 1937
No . 2667] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2015/AGRAHAYANA 20, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015

आयकर

सा.का.नि. 3357(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115पख की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बीसवां संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 12गक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"धारा 115 पख की उपधारा (7) के अधीन विवरण "

12गख. (1) किसी विनिधान निधि द्वारा अपने यूनिटधारक को संदत्त या जमा की गई आय का विवरण, किसी विनिधान निधि की ओर से आय के जमा करने या संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा और विनिधान निधि द्वारा --

(i) यूनिटधारक को, पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके दौरान विनिधान निधि की ओर से आय जमा करने या संदत्त करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित प्ररूप सं. 64ग में संदत्त या जमा की गई आय ऐसी रीति में जो उसमें उपदर्शित की गई है, के पश्चात् वित्तीय वर्ष के तीस जून तक ; और

(ii) आयकर के प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जिसकी अधिकारिता के भीतर विनिधान निधि का प्रधान कार्यालय अवस्थित है, को पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके दौरान किसी लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित प्ररूप सं 64घ में, इलैक्ट्रानिकली डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन संदत्त या जमा की गई है, के पश्चात् वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक दिया जाएगा।

(2) यथास्थिति, आय-कर (प्रणाली) का प्रधान महानिदेशक या आय-कर (प्रणाली) का महानिदेशक, प्ररूप 64घ फाइल करने हेतु प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा और इस नियम के अधीन इस प्रकार दी गई संदत्त या जमा की गई आय के विवरणों के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3. परिशिष्ट -2 मेंप्रपत्र सं. 64ख के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंत: स्थापित किएजाएंगे, अर्थात्: -

प्ररूप सं. 64ग

(नियम 12गख (1) (i) देखें)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115पख के अधीन यूनिटधारक को उपलब्ध कराई जाने वाली विनिधान निधि द्वारा वितरित आय का विवरण

1. यूनिटधारक का नाम : 2. यूनिटधारक पता

3. यूनिटधारक की स्थायी लेखा संख्या 4. पूर्ववर्ती वर्ष जब समाप्त हो रहा हो : 5. विनिधान निधि का नाम और पता

6. विनिधान निधि की स्थायी लेखा संख्या7. पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान यूनिटधारक को विनिधान निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय के ब्यौरे :

(रुपये में)

क्रम सं.	संदत्त या जमा की गई रकम	संदाय या जमा करने की तारीख	आय के शीर्षों के अधीन संदत्त /जमा की गई रकम का ब्रेकअप						
			'कारबार या वृत्ति'	'दीर्घावधि पूजीलाभ'		'अल्पावधि पूजीलाभ'		'अन्य स्रोत'	
				धारा 10(38 में निर्दिष्ट	अन्य	जिसको धारा 111क लागू होती है	अन्य	'लाभांश' (धारा 115ण में निर्दिष्ट	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

मैं, ...(पूरा नाम साफ अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमति/सुश्री..... सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करती हूं कि जो कुछ भी ऊपर और उपाबंध (उपाबंधों) में कथन किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे उपबंध (उपबंधों) के साथ संलग्न दस्तावेज हैं, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है । मैं और घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं ऐसे विवरण .....(पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत में दे रहा हूं/रही हूं और मैं ऐसे विवरण को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

आज तारीख .....को सत्यापित । स्थान:.....

हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 64घ

(नियम 12गक (1) (ii) देखें)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115पख के अधीन दी जाने वाली विनिधान निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय का विवरण

1 विनिधान निधि का नाम : 2 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

3 विधिक हैसियत: [कंपनी/न्यास/सीमित दायित्व भागेदारी/निगमित निकाय]

4. स्थायी लेखा संख्या

5. पूर्ववर्ती वर्ष जब समाप्त हो रहा हो : 6. विनिधान निधि के निदेशकों/न्यासियों/भागीदारों के नाम और पते*

क्रम सं.	नाम	पता
(1)	(2)	(3)

7. (i) यदि भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन एसईबीआई के पास अनुकल्पी विनिधान के रूप में रजिस्ट्रीकृत है हां/नहीं *

(ii)यदि हां, निम्नलिखित ब्यौरें दें : (क) यदि वर्ग I/II के रूप में रजिस्ट्रीकृत है

(ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या

(ग) रजिस्ट्रीकरण की तारीख:

8. विनिधान निधि की कुल आय

9. (i) पूर्ववर्ती वर्ष की हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हो; धारा 115पख की उपधारा (2) के खंड (ii) के अनुसार धारा 115पख के प्रयोजनों के लिए ध्यान न दिया जाना अपेक्षित है:

क्रम सं.	आय का शीर्ष	हानि की रकम
(1)	(2)	(3)

(ii) पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों की हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हो; धारा 115पख की उपधारा (2) के खंड (i) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष की आय के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है

क्रम सं.	आय का शीर्ष	हानि की रकम	चालू वर्ष में क्षतिपूर्ति की रकम	अग्रणीत की जाने वाली रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(iii) ऊपर (i) में हानि को ध्यान न देते हुए और ऊपर (ii) पर हानियों की क्षतिपूर्ति करने के पश्चात् विनिधान निधि की आय का कुल योग :

(iv) 'कारबार' और 'वृत्ति' शीर्ष के अधीन आय,

क्रम सं.	रकम	अनुपात [स्तंभ 2/ऊपर 9 (iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)

(v) "पूंजी लाभ" शीर्ष के अधीन आय

क्रम सं.	वर्ग	रकम	अनुपात[स्तंभ 3/ऊपर 9(iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 10(38) में निर्दिष्ट दीर्घावधि पूंजी लाभ		
2.	दीर्घावधि पूंजी लाभ (अन्य)		
3.	अल्पावधि पूंजी लाभ (जिसको धारा 111ग लागू होती हो)		
4.	अल्पावधि पूंजी लाभ (अन्य)		

(vi) 'अन्य स्रोत' शीर्ष के अधीन आय

क्रम सं.	वर्ग	रकम	अनुपात[स्तंभ 3/ऊपर 9(iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लाभांश [धारा 115ण में निर्दिष्ट]		
2.	अन्य		

12. धारा 115पख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट यूनिटधारक होते हुए व्यक्ति के ब्यौरे, जिसके द्वारा आय प्राप्त की गई है या जिसके नाम उसे जमा किया गया है:

क्रम सं.	यूनिटधारक का नाम	पता	पैन संख्या	संदत्त/जमा की गई/जमा की गई समझी गई कुल रकम	'कारबार या वृत्ति' शीर्ष के अधीन आय (स्तंभ 5X क्रम संख्या 9 (iv) पर सारणी कास्तंभ 3(1)	'दीर्घावधि पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन		'अल्पावधि पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन आय		'अन्य स्रोत' शीर्ष के अधीन आय	
						धारा 10 (38) में निर्दिष्ट(स्तंभ 5X क्रम संख्या 9 (v) पर सारणी का स्तंभ 4(1)	अन्य(स्तंभ 5X क्रम संख्या 9 (v) पर सारणी का स्तंभ 4(2)	जिसको धारा 111क लागू होती है (स्तंभ 5X क्रम संख्या 9 (v) पर सारणी का स्तंभ (3)	अन्य (स्तंभ 5X क्रम संख्या 9 (v) पर सारणी का स्तंभ 4(4)	लाभांश (धारा 115ण में निर्दिष्ट) (स्तंभ 5X क्रम संख्या 9 (vi) पर सारणी का स्तंभ 4(1)	अन्य (स्तंभ 5X क्रम संख्या 9 (vi) पर सारणी का स्तंभ 4(2)
1	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।

संपरीक्षित लेखे जिनके अंतर्गत तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हो, आय के संदाय या आय के जमा (धारा 115पख(6) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित) आय और विनियोग की सत्यापित की प्रमाणित प्रति सहित संलग्न करें

मैं, ...(पूरा नाम साफ अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमति/सुश्री..... सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करती हूं कि जो कुछ भी ऊपर और उपाबंध (उपाबंधों) में कथन किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे उपबंध (उपबंधों) के साथ संलग्न दस्तावेज हैं, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं और घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं ऐसे विवरण .....(पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत में दे रहा हूं/रही हूं और मैं ऐसे विवरण को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

आज तारीख .....को सत्यापित। स्थान:.....

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैंने/हमने....., ...को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के लिए .....अनुकल्पी विनिधान निधि का नाम) द्वारा यूनिटधारक को संदत्त/जमा की गई आय (धारा 115पख के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित) और अर्जित आय की विशिष्टयों को दर्शाने वाली लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा की है।

2. मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

..... (लेखाकार का नाम और हस्ताक्षर)

स्थान:.....

तारीख: .....

टिप्पण : 1. "लेखाकार" से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखाकार अभिप्रेत है 2. सभी रकम भारतीय रुपये में वर्णित की जाने है।

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

[अधिसूचना सं. 92/2015/फा. सं. 142/22/2015-टीपीएल]

एकता जैन, उप सचिव(कर नीति औरविधान)

टिप्पण:-- मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969 (अ), तारीख 28 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 3312(अ) तारीख 8 दिसंबर, 2015 द्वारा किया गया था।